Part XXI (B) Recruitment to the posts of personal Assistants.

निजी सहायकों का संयुक्त संवर्ग

संख्या ६०७ / का०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

(संयुक्त संवर्ग प्रकोष्ठ)

प्रेषक,

श्री ब्रज भूषण सहाय,
सरकार के सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
पटना / रांची

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित। * (द्वारा वित्त विभाग)

पटना, दिनांक २६ जून, १९७२।

विषय :— मंत्रियों तथा प्रमुख सचिवों के लिए सृजित वरीय निजी सहायकों / निजी सहायकों के दो पदों में से एक पद को निबंधक के वेतनमान (रु० ६४०-३०-९४०) में क्रमशः अपर आप्त सचिव एवं आप्त सचिव संचिव के पदों में उत्क्रम तथा इन उत्क्रमित पदों पर वरीयता के आधार पर वरीय निजी सहायकों की नियुक्ति

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि मंत्रियों (राज्य-मंत्रियों सहित) तथा प्रमुख सचिवों के लिये सृजित वरीय निजी सहायकों / निजी सहायकों के दो पदों में से एक पद को निबंधक के वेतनमान (रु० ६४०-३०-९४०) में क्रमशः अपर आप्त सचिव एवं आप्त सचिव के पदों में उत्क्रमित किया जाता है एवं इन उत्क्रमित पदों के विरुद्ध कार्मिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के वरीय संयुक्त संवर्ग के वरीय निजी सहायकों में से वरीयता तथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जायगी।

२— मुख्य-सचिव तथा वित्त आयुक्त के सचिव के संबंध में तृतीय वेतन-आयोग-समिति की अनुशंसा पर लिये गये निर्णय में इस आदेश से कोई परिवर्तन नहीं होगा। कृषि उत्पादन आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव तथा अन्य प्रमुख सचिव जिनके साथ आप्त सचिव अथवा सचिव पहले से ही कार्यरत हैं, उनके सम्बन्ध में यह निर्णय तब लागू होगा जब वर्तमान पदधारक सेवा-निवृत्त अथवा अन्य किसी पद पर स्थानान्तरित या प्रोन्नत हो जाएंगे।

३- यह अतिरिक्त व्यय १९-सामान्य प्रशासन/सचिवालय प्रशासन के अन्तर्गत उपयुक्त इकाई में वहन किया जायगा।

४- प्रमुख सचिवों की सूची संलग्न है।

विश्वासभाजन,
ह०/—अस्पष्ट
(ब्रज भूषण सहाय)
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या ६०७ का / दिनांक २६-६-१९७३

प्रतिलिपि सभी प्रमुख सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी मंत्रियों के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

ह०/—अस्पष्ट
(ब्रज भूषण सहाय)
सरकार के सचिव।

पत्रांक ६, ४-१-१९७४ के लिए प्रतिस्थापित

पत्र सं० सं० सं० प्र० १—६०१/७३—६ का०।

बिहार सरकार

नियुक्ति विभाग

प्रेषक

श्री सूर्य नारायण झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार, पटना।

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित। * द्वारा वित्त विभाग।

पटना-१५, दिनांक ४ जनवरी, १९७४।
२ सितम्बर, १९७४।

विषय :— आशुटंकक से आशुलिपिक वर्ग २ के पद पर नियुक्ति होने के पश्चात् वेतन निर्धारण की प्रक्रिया।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि आशुटंकक से आशुलिपिक वर्ग-२ पद पर नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण कैसे हो, यह प्रश्न कुछ दिनों से विचाराधीन था। सरकार ने भलीभांति विचार करने के पश्चात निर्णय लिया है कि जब कोई आशुटंकक, आशुलिपिक वर्ग-२ पद पर नियुक्त होते हैं तो उनका वेतन निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय :—

(१) आशुटंकक वर्ग-२ के पद पर नियुक्ति के पूर्व जिनकी सेवा आशुटंकक के पद पर लगातार तीन साल या उससे अधिक की हो, उनके मामले में आशुटंकक के पद देय वेतन तथा आशुलेखन भत्ता के सम्पूर्ण योग को आधार मानते हुए आशुलिपिक वर्ग-२ के लिए स्वीकृत वेतनमान में तत्स्थानी स्तर (कारस्पौंडिंग स्टेज) पर वेतन निर्धारित किया जाय एवं इस वेतनमान में यदि कोई तत्स्थानी स्तर न हो तो उसके ठीक निम्न स्तर पर वेतन निर्धारित करने के साथ आशुटंकक के पद पर प्राप्त उपलब्धि (वेतन एवं आशुलेखन भत्ता का योग) एवं आशुलिपिक वर्ग-२ के पद पर निर्धारित वेतन की राशि के अन्तर को ह्रासमान वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जाय जो भविष्य में देय वेतनवृद्धि में विलीन हो जायगा।

(२) आशुलिपिक वर्ग-२ के पद पर नियुक्ति के पूर्व जिनकी सेवा आशुटंकक के पद पर लगातार तीन साल से कम की हो, उनके मामले में आशुलिपिक वर्ग-२ के पद पर वेतन निर्धारण बिहार सेवा संहिता के सामान्य नियम के अनुसार किया जाय एवं आशुटंकक के पद पर प्राप्त उपलब्धि (वेतन+आशुलेखन भत्ता) आशुलिपिक वर्ग-२ के पद पर निर्धारित वेतन की राशि के अन्तर को ह्रासमान वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जाय जो भविष्य में देय वेतनवृद्धि में विलीन हो जायगा।

२। उपर्युक्त निर्णय के अनुसार प्रत्येक मामले में बिहार सेवा संहिता के नियम ८६ एवं ३९ के अन्तर्गत आदेश निर्गत करने के पूर्व वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

३। यह आदेश उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जो आशुटंकक से आशुलिपिक वर्ग-२ के पद पर दिनांक १ जनवरी, १९७१ या उसके बाद नियुक्त हुए हैं या भविष्य में आशुटंकक के पद से आशुलिपिक वर्ग—२ के पद पर नियुक्त होंगे।

विश्वासभाजन,

सूर्य नारायण झा,

सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या सं०-१—६०१/७३—६ का०।

पटना, दिनांक ४ जनवरी, १९७४।
२ सितम्बर, १९७४।

प्रतिलिपि— वित्त विभाग (प्रशाखा-३) १० प्रतियों में/वित्तविभाग (सेवा शाखा) सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

सूर्य नारायण झा,
उप-सचिव।

बि० स० मा० मु० (पी० एँड ए०) ४९—२,०००—२४-१०-१९७४—स० प्रसाद।

ज्ञाप संख्या ९/वि० १-१०३५/७५—२०००८-का० ।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

सेवा में,

वित्त विभाग/वित्त विभाग
बिहार पटना ।

पटना- १५, दिनांक १७ सितम्बर, १९७५ ।

विषय—कार्मिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संयुक्त संवर्ग के निजी सहायकों/आशुलिपिकों की कार्यावधि एवं हाजिरी बनाने के संबंध में ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि कार्मिक विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) के परिपत्र संख्या ४६९, दिनांक ९ जुलाई १९७५ में निर्गत आदेशों के आलोक में कार्मिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के निजी सहायकों आशुलिपिकों की कार्यावधि एवं हाजिरी बनाने के प्रश्न पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :—

(१) निजी सहायक/आशुलिपिक की कार्यावधि सामान्य सरकारी कर्मचारियों की भांति नहीं होकर, जिस पदाधिकारी के साथ वे प्रतिनियुक्त हैं, उन्हीं के द्वारा निर्धारित समय के अनुसार होगी और अपने वर्त्तमान नियंत्रक पदाधिकारी के आदेशानुसार ही वे कार्यालय आने और छोड़ने के समय का अनुपालन करेंगे ।

(२) जिस पदाधिकारी के साथ निजी सहायक/आशुलिपिक प्रतिनियुक्त हैं, यदि वे चाहें तो अपने पास एक उपस्थिति पंजी रख सकते हैं, जिसमें उनके द्वारा निर्धारित समय पर निजी सहायक/आशुलिपिक अपनी उपस्थिति अंकित करेंगे ।

२. उपर्युक्त आदेशों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जायगा और संबंधित पदाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कड़ी कार्रवाई की जायगी ।

रामचन्द्र घोषाल

सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञाप संख्या २००८-का० ।

पटना-१५, दिनांक १७ सितम्बर, १९७५ ।

प्रतिलिपि सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रामचन्द्र घोषाल,

सरकार के उप-सचिव ।

बि० स० ज्ञा० मु० (पी० ऐंड ए०) ८६—२,०००—२-१-१९७६—म० प्रसाद ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

आदेश

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के निजी सहायकों के संयुक्त संवर्ग के अवकाश रक्षित पूल में जितने भी आप्त सचिव उपलब्ध रहते हैं, समय पर कार्यालय नहीं आते हैं तथा अक्सरहां अनुपस्थित ही पाये जाते हैं, जिससे उनकी प्रतिनियुक्ति करने में कठिनाई होती है । इन सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसपर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया है कि निजी सहायकों के अवकाश रक्षित पूल में जितने भी आप्त सचिव उपलब्ध रहेंगे, वे नियमित रूप से कार्यालय में उपलब्ध उपस्थिति पंजी में अपना हस्ताक्षर एवं समय अंकित करेंगे ।

ह०/—योगेन्द्र कंठ,
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञाप संख्या—३/प्र० १-२२८/७७ का० । १२८९

पटना, दिनांक ८ दिसम्बर, १९७७ ।

प्रतिलिपि—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के निजी सहायकों के संयुक्त संवर्ग के अवकाश रक्षित पूल में उपलब्ध सभी आप्त सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(योगेन्द्र कंठ)
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

पटना-१५, दिनांक ९ जनवरी, १९७८

—: संकल्प :—

विषय :— सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत आशुलिपिक वर्ग-१ एवं आशुलिपिक वर्ग-२ के संवर्गों के एकीकरण के फलस्वरूप उनके पदनाम, परीक्षा-पद्धति एवं संवर्ग संगठन, आदि की नई व्यवस्था ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-३७३४, दिनांक ७-४-१९७७ के अन्तर्गत आशुलिपिक वर्ग-१ (निजी सहायक) के संवर्गों को दिनांक १-३-७७ से एकीकृत कर रुपये ४००-१३-४६५-द० रो०-१५-३०/-का वेतनमान स्वीकृत किया गया है ।

२— एकीकरण के फलस्वरूप इस संवर्ग का नया नामकरण, परीक्षा-पद्धति की व्यवस्था, संवर्ग - संगठन आदि कुछ प्रश्न उठे हैं, जिनपर भलीभांति विचार करने के पश्चात् सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :—

(क) एकीकृत वेतनमान में यह संवर्ग अब "निजी सहायकों के संयुक्त संवर्ग" के नाम से जाना जायेगा ।

(ख) निजी सहायकों के लिये आयोजित की जानेवाली भर्ती परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्व की भांति ही मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी ।

(ग) इस एकीकृत संवर्ग में निजी सहायक के पदों पर भर्ती हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षा का स्तर वही रहेगा, जो पूर्व में आशुलिपिक वर्ग-२ के लिये विनिर्धारित था, अर्थात् हिन्दी में श्रुतलेख की गति ८० शब्द प्रति मिनट रहेगी तथा मात्र ४ मिनटों में उसे लेखापित कर देना होगा । इसके अतिरिक्त ३०० शब्दों को १० मिनट में ३० शब्द प्रति मिनट की दर से, $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत गलतियों की छूट के साथ, टंकण - गति परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा ।

(घ) एकीकृत संयुक्त संवर्ग से बाहर मुफस्सिल कार्यालयों एवं अन्य निकायों में, जहाँ आशुलिपिक वर्ग-२ के पद सृजित हैं, के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु एवं अनुत्तीर्ण आशु-टंककों को आशुलिपिक भत्ता के लाभार्थ आशुलिपिक वर्ग-२ की परीक्षा पद्धति पूर्व की भांति परीक्षा-मानक निम्नांकित आंशिक संशोधन के साथ बरकरार रहेगा :—

(१) हिन्दी में श्रुतलेख की गति [illegible] शब्द प्रति मिनट रहेगी तथा अन्य मानक जो पूर्व में आशुलिपिक वर्ग-२ के लिये निर्धारित थे, यथावत् बने रहेंगे ।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।

२— यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना, महालेखाकार, बिहार, सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारियों, सरकारी निकायों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०— योगेन्द्र कंठ,

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या-१७/परी०—१०४९/७७ का०—९

पटना, दिनांक ९ जनवरी, १९७८।

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

२—अनुरोध है कि इसकी १००० प्रतियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (परीक्षा शाखा) को शीघ्र उपलब्ध कराई जायं।

ह०—(योगेन्द्र कंठ),

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या ९ का०

पटना, दिनांक ९ जनवरी, १९७८।

प्रतिलिपि—सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना, महालेखाकार, बिहार, पटना, सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी, सरकारी निकायों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(योगेन्द्र कंठ)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या ९ का०—

पटना, दिनांक ९ जनवरी, १९७८।

प्रतिलिपि—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) को सूचनार्थ एवं तदनुसार सचिवालय अनुदेश में आवश्यक संशोधन हेतु अग्रसारित।

(योगेन्द्र कंठ),

सरकार के उप सचिव।